BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 13 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. कासिफ पुत्र आसिफ, 2. फैसल पुत्र आसिफ, 3. अथर पुत्र दूल्हे निवासीगण ग्राम अमरपुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी राहत खाँ पुत्र स्व0 वाहिद खाँ निवासी ग्राम अमरपुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर के पुत्र आरजू की चाकू मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 15.03.2021 को थाना खानपुर पर मुअसं–77/2021 धारा 302,506 भादवि पजीकृत किया गया व बरामदगी के सम्बन्ध मे मुअसं – 100/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में मुअसं-187/21 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था। जिनमें दिनांक 15.06.2021को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 13.09.2024 को न्यायाधीश श्री गोपाल (मा0 न्यायालय एडीजे–12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. कासिफ 2. फैसल 3. अथर को आजीवन कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व 4/25 शस्त्र अधि0 में अभि0 कासिफ को 03 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदंड़ तथा धारा 174ए भादवि में अभि0 फैसल व अथर को 04-04 वर्ष का कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया** । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र कुमार व श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर